रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2016/माघ 28, 1937
No. 51] NEW DELHI WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2016/MAGHA 28, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

फा. सं. जे-18(15)/2015-सीपीयू.—केन्द्र सरकार, वर्ष 2007 की सिविल अपील संख्या 2740 – उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन तथा उपभोक्ता मंचों के प्रभावी कार्यकरण से संबंधित वर्ष 2002 की रिट् याचिका (सी) संख्या 164 के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 जनवरी, 2016 --के आदेश के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नानुसार तीन सदस्यों की एक समिति गठित करती है :

1 माननीय डॉ0 न्यायविद अरिजीत पसायत,
भारतीय उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश - अध्यक्ष -

2 माननीय सुश्री न्यायाविद रेखा शर्मा,
भूतपूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय - सदस्य -

3 श्री पी0वी0 रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले
सचिव के नामिति, उपभोक्ता मामले - सदस्य

2. समिति निम्नलिखित की जांच करेगी –

(i) पीठासीन अधिकारी, सदस्यों तथा सहायक स्टॉफ के संबंध में संबंधित राज्य आयोगों की अवसंरचनात्मक अपेक्षताएं क्या हैं और यह उपलब्ध करा दी गई हैं या नहीं। यदि आवश्यकताएं संतोषजनक नहीं हैं तो खामियां किस हद तक हैं और इन्हें दूर करने के संभावित तरीके तथा माध्यम।

(ii) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों तथा जिला मंच में अध्यक्ष/सदस्यों/पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों की स्थिति तथा इन रिक्तियों को समयबद्ध आधार पर भरना सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम।

(iii) राष्ट्रीय आयोग, राज्य में राज्य आयोगों तथा जिला मंच में या इनमें से किसी एक में भी कार्य की अधिकता के कारण अतिरिक्त पीठों की आवश्यकता तथा राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों तथा/या जिला मंचों तक पहुंचने में किसी भी उपभोक्ता विवाद वादी को आने वाली मुश्किलें/असुविधा।

(iv) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों तथा जिला मंच के गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की पात्रता की शर्तें, यदि कोई निर्धारित हैं। यदि पात्रता संबंधी ऐसी कोई शर्तें नियत नहीं हैं, चाहे ऐसा करने की कोई आवश्यकता है या नहीं और कार्य की प्रकृति तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संगत प्रावधानों के संबंध में ऐसी नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें क्या हो सकती हैं।

(v) प्रशासनिक शक्तियों की प्रकृति एवं विस्तार, यदि कोई है, को राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं जिला मंच के अध्यक्ष को प्रदत्त किया जाता है। यदि ऐसी शक्तियां प्रदत्त नहीं की गई हैं तो क्या उन्हें प्रदत्त करने की आवश्यकता है और यदि ऐसा है तो किस सीमा और प्रभाव तक।

(vi) वर्तमान में लागू सेवा शर्तें जिनमें राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला मंच के अध्यक्ष एवं सदस्य, न्यायिक/गैर न्यायिक के स्वीकार्य वेतनमान सम्मिलित हैं और यदि कोई सेवा शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं, तब ऐसी नियुक्तियों पर कौन सी तर्कसंगत सेवा शर्तें लागू की जा सकती हैं।

(vii) राष्ट्रीय आयोग और संबंधित राज्य आयोग/जिला मंच के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्टाफ और यदि ऐसे किसी मानक को मान्यता नहीं दी गई है या संबंधित आयोग और मंच द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति या मात्रा के संबंध में उपलब्ध कराया गया स्टाफ अपर्याप्त है तो इसे उपलब्ध कराने के मानदण्ड क्या हो सकते हैं।

(viii) राष्ट्रीय और राज्य आयोग और जिला मंच में स्टाफ के लिए अलग संवर्ग सृजित करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता।

(ix) अन्य कोई पहलू, जिसे समिति, उपभोक्ता विवाद मंचों/आयोगों को अधिक प्रभावी, कार्य कुशल और उनकी प्रक्रिया को तीव्र बनाने की दृष्टि से प्रासंगिक और सहायक समझती है।

पी. वी. रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2016

F. No. J-18(15)/2015-CPU.—In pursuance of the order dated 14th January, 2016 of the Hon'ble Supreme Court of India in the Civil Appeal No. 2740 of 2007 – State of U.P & Others Versus All U.P. Consumer Protection Bar Association and Writ Petition (C) No. 164 of 2002, relating to efficient functioning of the Consumer Fora, the Central Government hereby constitutes a three Member Committee as follows:

1. Hon'ble Dr. Justice Arijit Pasayat, Former Judge of the Supreme Court of India - Chairman

2. Hon'ble Ms. Justice Rekha Sharma Former Judge, High Court of Delhi - Member

3. Shri P.V.Rama Sastry, Joint Secretary, Department of Consumer Affairs Nominee of Secretary, Department of Consumer Affairs - Member

2. The Committee shall examine the following:

(i) The infrastructural requirements of the respective State Commissions in terms of the office space for Presiding Officer, members and Supporting staff and whether the same has been provided for. In case the requirement is not satisfied, what is the extent of deficiency and possible ways and means of removing the same.

(ii) The vacancy position of the President/Members/Presiding Officers in the National Commission, State Commissions and the District Fora and the steps that need to be taken for ensuring that vacancies are filled up on a timely basis.

(iii) Need for additional benches of the National Commission, State Commissions and District Fora in the States or in any one of them having regard to the workload and the difficulties/inconvenience which a consumer dispute litigant has to face to access the National Commission, State Commissions and/or District Fora.

(iv) The conditions of eligibility, if any prescribed, for appointment as Non-Judicial Members of National Commission, State Commissions and the District Fora. In case no such conditions of eligibility are prescribed whether there is a need for doing so and what could be the conditions of eligibility for such appointments having regard to the nature of work and the relevant provisions of the Consumer Protection Act, 1986.

(v) The nature and extent of Administrative Powers, if any, conferred upon the Presidents of the State Commissions and the President of the District Fora. In case no such power have been conferred whether the same need to be conferred and if so to what extent and effect.

(vi) The service conditions currently applicable including pay scales admissible to the President and Members, Judicial/Non-Judicial of the National Commission, State Commissions and the District Fora and in case no service conditions are stipulated what could be reasonable conditions of service applicable to such appointees.

(vii) Theminimum staff required for the National Commission and respective State Commissions/District Fora and in case no such standard is recognized or the staff provided is inadequate having regard to the nature and extent of work to be done by the concerned commissions and Fora what could be the norms for providing the same.

(viii) Desirability and feasibility of creating a separate cadre for staff in the National and State Commissions and the District Fora.

(ix) Any other aspect that the Committee may consider relevant and helpful with a view to making the Consumer Disputes Fora/Commissions more effective, efficient and their process speedy.

P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.